Email **581A** **Consultant Judicial-NGT(P.B.)**

Re: Regarding implementation of directions dated 17.03.2023 issued by Honorable National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in OA 859 of 2022 titled Abhisht Kusum Gupta vs State of Uttar Pradesh & ors for formation of Joint Committee for river Hindon

---

From : abhisht88@gmail.com — Fri, Apr 14, 2023 04:37 PM

Subject : Re: Regarding implementation of directions dated 17.03.2023 issued by Honorable National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in OA 859 of 2022 titled Abhisht Kusum Gupta vs State of Uttar Pradesh & ors for formation of Joint Committee for river Hindon — 1 attachment

To : Consultant Judicial-NGT(P.B.) <judicial-ngt@gov.in>

Cc : Registrar General <rg.ngt@nic.in>, Deputy Registrar <dr.ngt@nic.in>, commsah commsah <commsah@nic.in>, commmee <commmee@nic.in>, dmgbn <dmgbn@nic.in>, Member Secretary CPCB <mscb.cpcb@nic.in>, Chairman CPCB <ccb.cpcb@nic.in>, chairman@uppcb.com, District Magistrate, Meerut <dmmee@nic.in>, upslsa upslsa <upslsa@nic.in>, Commissoner of Police, Gautam Buddh Nagar <cp-pol.gb@up.gov.in>, dmsah <dmsah@nic.in>, DIG range SRR <digrsah@nic.in>, Senior Superintendent of Police Saharanpur <sspsrr-up@nic.in>, DM MUZAFFARNAGAR <dmmuz@nic.in>, sspzuf@gmail.com, DIG/SSP Meerut <sspmrt-up@nic.in>, Shri Raj Kamal Yadav <dmbag@nic.in>, Superintendent of Police Baghpat <spbpt-up@nic.in>, District Magistrate, Ghaziabad <dmgha@nic.in>, sjmathews@gmail.com, manoj4others@gmail.com, ceo@noidaauthorityonline.com, dcgau@allahabadhighcourt.in, dcbag@allahabadhighcourt.in, dcgzd@allahabadhighcourt.in, dcmee@allahabadhighcourt.in, dcmuz@allahabadhighcourt.in, dcsah@allahabadhighcourt.in, CHIEF SECRETARY GoUP <csup@nic.in>

Honorable Sir

It is a matter of grave concern that Public is approaching us instead of approaching to relevant authorities.

Today, Mr Mustakeem Khan came and met me with regards to illegal encroachment on the Pushta land falling in Noida region. This is happening due to collusion between Land Mafias and Patwaris and their senior officials.

He before approaching me, he approached Mr Prasoon Dwivedi, OSD, Noida, Additional Commissioner and other relevant officials, however all in vain.

Kindly direct District Magistrate/ Commissioner of Police / CEO Noida Authority jointly, to take appropriate action and ensure removal of all illegal encroachment removal.

I am submitting docuement handed over to me by him for your kind perusal.

Regards
Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

On Wed, 22 Mar, 2023, 8:21 am ABHISHT GUPTA, <abhisht88@gmail.com> wrote:

> Dear Sir
>
> Hope,Committee is formed by now (within a week) under your stewardship and task assigned both by constitution and Honorable Green Tribunal will be done.
>
> As per the directions of Honorable Tribunal to produce factual report never happened last time as member authorities for joint committee failed to give their nomination which is quite discouraging.
>
> Please find attached newlines for your reference.

Regards
Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

581B

On Tue, 21 Mar, 2023, 7:54 am ABHISHT GUPTA, <abhisht88@gmail.com> wrote:

Dear Sir

As per the directions of Honorable Tribunal to produce factual report never happened because member authorities failed to give their nomination which is quite discouraging.

Hope,Committee is formed by now (within a week) under your stewardship and task assigned both by constitution and Honorable Green Tribunal will be done.

Please find attached newlines for your reference.

Regards
Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

On Mon, 20 Mar, 2023, 9:26 am ABHISHT GUPTA, <abhisht88@gmail.com> wrote:

Dear Sir

As per the report submitted by UPPCB as per the directions of Honorable Tribunal to produce factual report never happened because member authorities failed to give their nomination which is quite discouraging.

Hope, now Committee will be formed within a week under your stewardship and task assigned both by constitution and Honorable Tribunal will be done.

Please find attached newlines for your reference.

Regards
Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

On Mon, 30 Jan, 2023, 2:24 am ABHISHT GUPTA, <abhisht88@gmail.com> wrote:

Honorable Sir

Please find below the media lines for your kind perusal:

https://bit.ly/3HgN978

https://hindi.news18.com/news/uttar-pradesh/noida-ngt-order-noida-and-seven-different-districts-for-hindon-river-5296885.html

I humbly request you to direct relevant officials to form district wise task-force as directed by Honorable National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in my petion as mentioned above.

Regards
Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

On Sat, 28 Jan, 2023, 1:01 am ABHISHT GUPTA, <abhisht88@gmail.com> wrote:

Honorable Sir

Kindly go through the article, there is dire need to form Special Environmental Surveillance Task Force in order to monitor this issue at micro level and remediation

िहंडन र ा को अिभ ग ु™ा की लड़ाई '4ेशल एनवायरनम ट िसवल ांस टा फोस' तक आई
https://hindi.indiawaterportal.org/articles/haindana-rakasaa-kao-abhaisata-gaupataa-kai-ladaai-sapaesala-enavaayaranamaenta

िहंडन र ा को अिभ ग ु™ा की लड़ाई '4ेशल एनवायरनम ट िसवल ांस टा फोस' तक आई

581C

िहंडन के नाम पर खूब याा◌एं 5ई ह। िहंडन के नाम पर कई-कई सं3थाएं काम कर रही ह। िहंडन की ज़मीन बेचनेपर सरकारी अमला आ◌ंख म◌ूं◌दे पड़ा ह◌ै। िह◌ंडन के नाम पर अपाटम ट ह। ि◌त ◌ान ह, पि◌ाका ह◌ै, पाक ह◌ै। िह◌ंडन के कइयों मुकदमे म आदेश दर आदेश ह, बजट है। पर हालात यह है िक िहंडन िदन- ि◌तिदन बीमार होती जा रही हैऔर लगभग मरने के कगार पर प5◌ंच चुकी है। िहंडन, आज उKर देश की सबसे अिधक और भारत का दू सरा सबसे अिधक दू िषत नदी है। नेशनल ◌ीन िट‰◌ूनल यह जानकर िनराश 5आ है िक सालों से यह मुहा लटका 5आथा और लगातार इस पर िनद˝श जारी िकए जाते रहे ह, लेिकन रा -अथॉ रटी िहंडन नदी म दू षण को रोकने म नाकामयाब रही ह। एनजीटी के आद◌े श पर सात िजल◌ो◌ं म 'िवश◌ेष पय◌ावरण िनगरानी कायबल' गिठत की जानी ह◌ै।
िहंडन नदी के उदगम से लेकर संगम तक िहंडन नदी िवरोधी गितिविधयों पर 'िवशेष जांच अिभयान' चलाकर रपोट म◌ा◌ंगा गया ह◌ै। 'िवश◌ेष पय◌ावरण िनगरानी कायबल' इस बात की प◌ुि करे◌गी िक कोई भी ग◌ैर कान◌ूनी माइिन◌ंग न हो रही हो। अगर पाई जाती है तो 'पो ◌ूटर पेज िस5◌ा◌ंत' के आधार पर नदी के पुनज वन के िलए उनसे कॉ™ वसूला जाए, जो िहंडन नदी म पोलूशन के िलए िज ◌ेदार ह। साथ ही और यह भी िनद˝श िदया गया है अगर िकसीभी ए4न ◌ान म कोई भी गड़बड़ी पाई जाती ह◌ै तो उKर द◌े श के चीफ स◌े ◌े टरी Dि4गत Vप स◌े िज ◌ेदार होंगे।

Regards
Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

On Sun, 22 Jan, 2023, 1:22 am ABHISHT GUPTA, <abhisht88@gmail.com> wrote:

To
The Honorable District Judge and Companion Judges
District of Saharanpur, Muzzafarnagar, Meerut, Baghpat, Ghaziabad and Gautambudhnagar

This is to bring to your kind knowledge that as per the order dated 25.11.2022 in OA 859 of 2022, titled Abhisht Kusum Gupta vs State of UP & ors (Attached for your kind perusal) issued by Honorable National Green Tribunal, a Special Environment Surveillance Task Force required to be set up, comprising of nominees of

- District Magistrate
- Supritendent of Police
- Regional Officer of State Pollution Board
- One person nominated by Honorable District Judge in his capacity as Chairman of Legal Services Authority

This task force will ensure that no illegal mining takes place and will have the authority to recover the cost of rejuvenation in Polluter Pays Principal from those who may be responsible for pollution for river Hindon.

Also, it was directed that Chief Secretary of State of UP will be personally accountable for failure to formulate an action plan.

Please note that out of 133 drains falling into the river, 113 drains still remained untapped which is a serious concern and flood plains are encroached by land mafias constructing farm houses and houses.

Tribunal was disappointed that even after almost seven years of pendency of the matter and repeated specific directions, the state failed to prevent pollution in River Hindon, leading to continuing damage to the environment and public health. This damage tantamount to damage from other heinous crimes.Tribunal was upset that the state failed to perform its constitutional duties despite the issue is with the highest authorities in the state.

They also directed Chief Secreatry of the State to identify erring officials and fix their responsibilities and make entry in the service record of the incompetent and failing officials.

I, therefore, humbly request you to form task force and where the same is formed, direct it to implement the directions issued by Honorable Tribunal on ground level.

Kindly note that next listing date for this matte is 01.02.2023.

Regards

581D

Abhisht Kusum Gupta
Petitioner

OA859 of 2022- Submission.pdf
4 MB

581E

6

सेवा मे,

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय,

नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर।

विषय- जमीन पर अवैध कब्जे व अवैध निर्माण के सम्बन्ध मे-

महोदय,

निवेदन यह है कि प्रार्थी ग्राम सोरखा अन्तर्गत थाना सै0 113 जिला गौतमबुद्ध नगर का निवासी है और वर्तमान मे 172, जे. एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर दिल्ली-92 मे रहता है। प्रार्थी व उसकी पत्नी की ग्राम सोरखा मे हिण्डन पुस्ते के अन्दर डूब क्षेत्र मे खेती की जमीन है जिसका विवरण निम्न है। खेत सं0-931, 921, 949 भू-स्वामिनी अफसरी पत्नी युसुफ खान महोदय इन खेतो मे भू माफिया चारो चारो तरफ अवैध निर्माण कर रहे है और प्रार्थी की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रहे है। खेत सं0-944 भू मालिक युसुफ खान पुत्र चन्दा खान इस भूमि मे सहखातेदार मुकेश पुत्र मानेराम निवासी सोरखा ने हमारी जमीन पर हमारी 02 बीघा जमीन अवैध कब्जा कर दीवार बना ली है जिसकी रिपोर्ट हमने थाना सै0 113 मे की थी और इस बाबत पटवारी/तहसीलदार दादरी ने भी रिपोर्ट अवैध कब्जे के बारे मे दी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। खेत सं0-944 के पास खेत सं0-945 के भू स्वामी विनोद आदि पुत्रगण छिददा ने हमारी 944 की जमीन मे मलबा डालकर हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। 944 के इस भाग पर अरसा दराज 20 वर्ष से हमारी झोपडिया हैन्ड पम्प, पशु बाडे आदि बनी है और वही रह कर हमारे लोग सब्जी उगाने का काम करते है। श्रीमान जी डूब क्षेत्र मे कोई भी निर्माण शासन आदेश के अनुसार करना अवैध है और इस क्षेत्र मे मलबा/कूडा कबाडा डालना भी वर्जित है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त अवैध निर्माण कार्यो को तुरन्त रोका जाये और विनोद आदि पुत्रगण छिददा को इस एरिया 944/945 के बीच मलबा डलवाने से तुरन्त रोका जाये और हमारी जमीन कब्जा मुक्त करायें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक-20/08/2022

प्रार्थी [signature] अफसर

युसुफ खान (वरिष्ठ नागरिक सरकारी सेवा से निवृत्त) पुत्र चन्दा खान निवासी 172 जे. एक्सटेन्शन लक्ष्मीनगर दिल्ली 92

मो0नं0-9868156698

संलग्न :- तहसील की रिपोर्ट

DCP Noida
सम्बन्धित ACP कल ही प्रार्थी को आज बुलाकर सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कर, राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तत्काल आ. का. करायें।
[signature]
JtC.P.(L&O)
22.08.22.

6

महोदय,

संलग्न समाधान शिकायत निवारण प्रणाली संदर्भ संख्या 40014122002661 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रार्थी श्री युसुफ खान पुत्र स्व. चंदा खान नि. ग्राम सौंहरखा जाहिदाबाद [illegible] लक्ष्मी नगर, दिल्ली द्वारा ग्राम सौंहरखा जाहिदाबाद में स्थित खसरा सं. 944 सं. 1.0750 हे. पर अवैध कार्य के सम्बंध में शिकायत पत्र दिया है जिसकी जाँच आख्या निम्न है:-

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी युसुफ खान पुत्र स्व. चंदा खान भूमि स्थित ग्राम सौंहरखा जाहिदाबाद के खसरा सं. 944 सं. 1.0750 हे. में खतौनी फसली वर्ष 1425-1430 के अनुसार संक्रमणीय भूमिधर के रूप में बतौर सहखातेदार दर्ज है व 1/2 भाग भूमि के मालिक है। उक्त प्रकरण के सम्बंध में स्थलीय निरीक्षण किया गया व पाया कि उक्त गाटे में अन्य सहखातेदार मुकेश कुमार पुत्र मंगतराम द्वारा प्रार्थी की लगभग 1.5 बीघा कच्ची भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स भी बनी हुई थी कि सही है किन्तु विपक्षी द्वारा नई दिवार बनाई जा रही है जिसे मौके पर जाकर रुकवा दिया गया है। इस सम्बंध में प्रार्थी को अवगत करा दिया है कि अपनी भूमि पर कार्य के सम्बंध में वह पुलिस विभाग में प्राथमिकी दर्ज करा कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

[signature]
राकेश लेखपाल
क्षेत्र ...... (राजस्व)
तहसील दादरी

महोदय,
तहसील आख्या [illegible]

सेवा में,

श्रीमान उप-पुलिस आयुक्त-3,

नौएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

विषयः-   जमीन पर अवैध कब्जे व अवैध निर्माण के विषय में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी ग्राम सौहरखा थाना सैक्टर 113, नौएडा, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है और फिलहाल . 172, जे-एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 में रहता हूँ। प्रार्थी की खेती की जमीन ग्राम सौरखा, हिंडन डूब क्षेत्र में स्थित है, जिनका खेत नम्बर- 931, 921, 949 व 944, 967/1 है (जिसमें प्रार्थी की पत्नी के नाम पर भी है) जोकि हमारी जमीन पर भू माफिया कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे है। खेत नम्बर 931 में हमारी जमीन पर चारो तरफ 3 फुट हमारी मेंढ के अंदर ही 30 साल पुराने सफेदा के पेड लगे हये है, लेकिन पडोसी दबंग व्यक्तियो ने पेडो से सटाकर अवैध निर्माण कर लिया है, इससे हमारी लगभग 2 बीघा जमीन अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर ली है और खेत नम्बर 921 में 3 बीघा जमीन पर सह खातेदार नरेश पुत्र लखमी निवासी ग्राम ने अंदर आकर कब्जा कर लिया है। जैसा कि महोदय इस जमीन (3 बीघा खेत नम्बर 921) पर हमारा नौएडा का मुआवजा वापिस करने की प्रकिया भी चल रही है। श्रीमान जी 944 खेत में सह-खातेदार मुकेश पुत्र श्री मांगे राम ने दिनॉक 8 फरवरी 2022 को 2 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दीवार बना ली है, जिसकी शिकायत कई बार थाना व पुलिस विभाग में की थी और तहसील से नाप में तहसील दादरी दवारा भी लेखपाल/तहसीलदार की रिपोर्ट में अवैध कब्जा माना है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है।

श्रीमान जी उक्त मुकेश ने अब इस दीवार के साथ पेड लगाना भी शुरू कर दिया है, जोकि अवैध है। यह मुकेश खेत नम्बर- 967/1 में बनी हुई झोपडियों को तोडने और हमारे खेती करने वाले लोगो को भी धमकाता है कि वह झोपडियाँ तोडकर कब्जा कर लेगा और मना करने पर, जान से मारने की धमकी भी देता है। खेत नम्बर-967/1 में भी अवैध अतिकमण करने की फिराफ में है। जैसा कि वह खेत नम्बर 944 में कर चुका है।

श्रीमान जी हमारे खेत नम्बर 944 में हमारी बीस साल पहले बनी झोपडी में विनोद आदि पुत्रगण छिद्दा ने तुडवा दी है और उस स्थान पर अब सामान कब्जे करने की नीयत से सीमेंट के पिल्लर लाकर डाल दिये है जिसमें मुकेश भी शामिल है। उक्त विनोद ने हमारे खेत में Solid Waste ट्रको से डलवा दिया है जहां हम खेती करते थे। यहां बताना

आवश्यक है कि विनोद आदि खेत नम्बर-945 के भू स्वामी है तथा वह हमारे खेत नम्बर-944 पर अवैध कब्जा कर रहे है और विनोद आदि खेत नम्बर-944 पर निरंतर कब्जे के फिराक में है और धमकी दे रहे है कि पुलिस प्रशासन में शिकायत की तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना।

श्रीमान जी प्रार्थी दिनॉक 22.08.2022 माननीय Add. CP (Law & Order) Gautam Budh Nagar को प्रार्थना पत्र देकर मिला था जिस पर आदेश किया कि सम्पूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर तत्काल आ.का. कराये। प्रार्थी ने एस.एच.ओ. सैक्टर 113 को फोन किया जिन्होनें थाने से स्टॉफ को भेजा और जो मौका खेत नम्बर-944 पर आये और हमने उन्हें समस्त हालात बताये लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नही करी, सिर्फ खाना पूर्ति करके ही चले गये और कोई भी कार्यवाही नही की गई। यदि स्थानीय पुलिस द्वारा सख्ती से कानूनी कारवाई की जाती तो इन लोगों के हौसले बुलंद नही होते और यह लोग अपने अवैध कार्य से बाज आते लेकिन स्थानीय पुलिस द्वारा Add. CP (HQ) साहब के आदेश का भी पालन नही किया गया। जिससे इन दबंगो के हौसले इतने बढ़ गये है हमारी जमीन में मुकेश पुत्र श्री मांगे राम पीछे पेड लगा के और दीवार पर पलस्तर करा दिया है जिससे वह सबूत नष्ट करने में कामयाब हो सके और हमारे दूसरे खेत नम्बर-967/1 में भी झोपडियां हटाने के लिए निरंतर धमका रहा है। विनोद और मुकेश ने मिलकर हमारी जमीन से हमारी एक झोपडी तुडवा दी और Solid Waste डलवा दिया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने में हमारी मदद करे और उक्त मुकेश व विनोद आदि के खिलाफ गुंडागर्दी से अवैध अतिक्रमण करे हमारी झोपडी तोडने, Solid Waste डालने, हमें धमकाने, मुकेश द्वारा हमारे हिस्से में लगाई गई दिवार को हटाने व हमारे भाग की दीवार के साथ पेड लगाने की कार्यवाही से रोका जाये और अन्य वर्णित खेत नम्बर को भू माफिया व दबंगो के अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनॉकः- 12-9-2022

अफसरी

प्रार्थी
यूसुफ खान
सरकारी सेवा निर्वत
वरिष्ठ नागरिक
निवासी 172, जे-एक्सटेंशन,
लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
मौ. नम्बरः- 9868156698//9953004632

Mob Mukesh- 9313581038
Mob Vinod 7065853463

संलग्नः-

1. माननीय Addl. CP (L & O) का ओदश
2. रिपोर्ट तहसील दादरी

Given to CEO(D/B)
8-6-2022

दिनांक 8-6-2022

माननीया सी०ई०ओ० महोदया
नोएडा गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

विषय:- हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण व अतिक्रमण

महोदया, प्रार्थिनी मूल रूप से ग्राम सौरखा Sector 115 अन्तर्गत थाना सैक्टर 113 की मूल निवासी है। और फिलहाल 172 J, एक्सटेन्शन लक्ष्मीनगर दिल्ली मय परिवार रहती हूँ।

हमारी ग्राम सौरखा हिन्डन डूबक्षेत्र में खेती की जमीन है। जिनका खसरा खेत नं 131, 121, 141 है। हमारी जमीन पर मेन्ड से तकरीबन 3' अन्दर सफेदा के पेड़ लगे हैं जोकि 35 वर्ष पुराने हैं। पहले तो सब ठीक था लेकिन पिछले लगभग 6 महीने से कुछ दबंग भूमाफियो ने डूबक्षेत्र में अवैध निर्माण शुरू कर दिया खेत न० 131 में इन लोगो ने हमारी जमीन पर अतिक्रमण करके दीवारे पक्की ईंट वाली व मकान बिलकुल पेडो से सटा कर बना दी है। और मना करने पर बुरे अन्जाम की धमकी देते। इस से अवैध अतिक्रमण से हमारी जमीन कम हो गयी है। और पेडो को भी नुकसान हो रहा है।

माननीया खेत न० 121 मे तो एक दबंग भूमाफिया हमारे खेत के अन्दर 3 बीघा जमीन पर कालोनी बनाने के लिए अवैध प्लाटिंग कर दी है। और मना करने पर भी कर रहे हैं।

p-

महोदया इबधोत हिन्डन नदी व पुस्ते के बीच निर्माण कार्य पूरी तरह शासन आदेश से अवैध है। ये लोग दबन्ग व भूमाफिया लोग है। महोदया खेत नं० 121 मे हमारा नोएडा प्राधिकरण से मुआवजा को लेकर विवाद है। चूंकि इबधोत जमीन अधिगृहीत नहीं की जा सकती। लेकिन इन भूमाफिया ने इस जमीन पर भी अवैध कब्जा कर कालोनी के लिए प्लोटिंग करदी। प्रार्थनी एवं कमजोर सीनीयर सिटीजन है और प्रार्थनी के पति सरकारी से रिटायर्ड है और हम दोनो बीमार रहते हैं।

अत एव उक्त लोगों के अवैध निर्माण व प्लोटिंग को रोककर हमारी जमीन कब्जा मुक्त करायी जावे। और अवैध निर्माण हटवाये जावें इस सहानुभूति पूर्ण कार्यवाही के लिए आभारी रहेगी,

आपकी प्रार्थनी अफसरी

अफसरी W/o युसुफ खान
मूल निवासी सेक्टर 115
थाना 113 सैक्टर

Mob
9868156698

MARUTI SUZUKI
Way of Life!

Mustakeem Khan
Senior Manager (Press Engineering)
BDNT Division

MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
Palam Gurugram Road, Gurugram - 122 015 (Haryana) India
Tel.: 0124-2346721-30 Extn.: 4194, 3670 Fax: 0124-2341402, 2341411
Mobile: 9953004632 Email: Mustakeem.Khan@maruti.co.in
www.marutisuzuki.com